



2026:AHC:6721

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19376 वर्ष 2025

गिरजा शंकर और 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अच्छे लाल सिंह यादव

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंह यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता गणों की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता लेखपाल हैं जो 30.04.2022, 30.05.2021 और 31.12.2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं, हालांकि, उन्हें सुनिश्चित करियर प्रगति का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तीसरे प्रतिवादी, कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला मिर्जापुर द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 22.01.2026 तक तीसरे प्रतिवादी, कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला मिर्जापुर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए किया गया है। इसके बाद, तीसरा प्रतिवादी दो माह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।